



04
०५१११०
345
11/2/21

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्राक-2800 / 12-1

दिनांक, चकराता

05 फरवरी 2021

सेवा में,

अधिष्ठासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास
एवं निर्माण निगम, निर्माण शाखा,
पुल नं०-1, डाकपत्थर रोड़,
विकासनगर, देहरादून।

विषय-

देहरादून में विकासखण्ड त्यूनी के अन्तर्गत निचली बोराड़ अनुसूचित जाति पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.054 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को 15 वर्षों की लीज पर दिया जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ -

इस कार्यालय का पत्राक-2306 / 12-1 दि० 02.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से एन०पी०वी० धनराशियों को निरस्त करते हुये विषयाकित पेयजल योजना के निर्माण हेतु देय संशोधित धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल / लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	रिक्त पड़े स्थानों पर वनीकरण एवं अनुरक्षण पर व्यय।	100 वृक्ष	1,331 / -	1,33,100.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेंट कर देय धनराशि के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं०-1 व 4 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्राक-2800 / 12-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

स० अ० श्री रावत

अधिष्ठासी अभियन्ता
Si. Muresh Negi, A.E.
NEW 3278

(नीतीश मणि त्रिपाठी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता